भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1744

दिनांक 03 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

बिहार में विद्युत अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं की प्रगति

1744# डा. धर्मशीला गुप्ता:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत अब तक अनुमोदित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित किए गए हैं तथा इसके तहत कितने नए विद्युत उप-केंद्रों, पारेषण लाइनों और विद्युत वितरण अवसंरचना परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है और कितना कार्य पूर्ण कर लिया गया है;

(ग) वर्तमान में निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा उन्हें पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(घ) क्या केंद्र सरकार बिहार में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के तहत अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी देने पर विचार कर रही है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : बिहार राज्य में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत अब तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियाँ निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपये में)

कुल परिव्यय	संस्वीकृत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)	अब तक जारी जीबीएस	अब तक उपयोग किया गया जीबीएस
12,581	6,748	3,536	3,533

(ख) और (ग): आरडीएसएस के अंतर्गत, बिहार में 23,50,000 उपभोक्ता मीटर, 2,50,726 वितरण ट्रांसफॉर्मर (डीटी) मीटर तथा 6,427 फीडर मीटर के लिए स्मार्ट मीटरिंग संबंधी कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। दिनांक 21.07.2026 तक, आरडीएसएस के तहत 21,02,893 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। राज्य की स्कीमों सहित विभिन्न स्कीमों के तहत राज्य में कुल 93,14,041 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं।

इसके अलावा, राज्य के लिए 6976.41 करोड़ रुपये के हानि न्यूनीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। संस्वीकृत कार्यों में नए सब-स्टेशन का निर्माण, एचटी और एलटी लाइनों की संस्थापना, वितरण ट्रांसफॉर्मर की संस्थापना, फीडर पृथक्करण कार्य तथा घरेलू विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं। अब तक राज्य में हानि न्यूनीकरण कार्यों की कुल वास्तविक प्रगति लगभग 54% है। इस स्कीम की समाप्ति तिथि 31.03.2028 है। स्मार्ट मीटरिंग तथा हानि न्यूनीकरण कार्यों के लिए संस्वीकृत की गई मात्रा और हासिल की गई उपलब्धियों का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। तथापि, आयोग कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे तय कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होते हैं। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्यों के प्रयासों को विभिन्न स्कीमों के माध्यम से सहयोग प्रदान करती है।

यह परिकल्पना की गई है कि स्कीम में किए गए विभिन्न सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप वितरण यूटिलिटी की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के साथ-साथ संस्वीकृत अवसंरचनात्मक कार्यों से विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा।

रा.स.अतारां.प्र.सं. 1744

अनुबंध

क. बिहार में आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों की स्थिति

क्रम सं.	विवरण	माप की इकाई	संस्वीकृत मात्रा	उपलब्धि
क	स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ता मीटर	संख्या	23,50,000	21,02,893
ख	फीडर मीटर	संख्या	6,427	6,163
ग	डीटी मीटर	संख्या	2,50,726	2,02,808

ख. बिहार में आरडीएसएस के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण संबंधी कार्यों की प्रगति :

क्रम सं.	विवरण	माप की इकाई	संस्वीकृत मात्रा	उपलब्धि
क	नया उप-केंद्र	संख्या	167	0 (निर्माणाधीन)
ख	एचटी लाइन	सीकेएम	43,945	32,299
ग	एलटी लाइन	सीकेएम	70,863	76,043
घ	वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	52,142	53,972
ङ	फीडर पृथक्करण	संख्या	1,555	1,408
च	अतिरिक्त घर	संख्या	35,467	352
छ	प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित घर	संख्या	51	51
ज	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत अनुसूचित जनजाति से संबंधित घर	संख्या	7,117	1,635
